

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत


तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम बाबूलाल डा० रामजीबाल जीरे ब्राह्मण
नि. नथाराव

किस्म मुकदमा

धारा 91 LR ACT.

नं. 240/17 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/2/17	<p>पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/1/18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा, दौसा</p>	
10/1/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगावड़े गइ अतिक्रमी अनुपस्थित रहे न्यायाद्वर में अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 16/0/2018 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा-महवा (दौसा)</p>	
16/0/2018	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगावड़े गइ अतिक्रमी अनुपस्थित की तामील विधिपर/अपुल अदम तामील प्राप्त हुई पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी का निवास स्थान सभी प्राप्त कर न्यायाद्वर में अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 25/0/18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा (दौसा)</p>	
25/0/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगावड़े गइ अतिक्रमी उपस्थित आएत हैं न्यायाद्वर में अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समथ चक गथा हैं</p>	

11/02/2018

आज पत्रावली पेश हुई। आतिशमी उपाल
दापा आतिशमी को आतिशमी वापस
नसाप आतिशमी को आतिशमी 6 सज्जर
इका जवाब है खपचारा पत्रावली
दिया गया पत्रावली वाले जवाब दिनांक
12/2/18 को पेश है।

~~पत्रावली~~

12/2/18

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई
गई। आतिशमी अनुपस्थित रहा है।
आतिशमी के विरुद्ध एक तरफा कथिवादी
एक पक्षीय कथिवादी अमल में लड़ि जाति
है। पत्रावली वस्तु निवेद्य दिनांक
19/2/18 को पेश है।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

19/2/18

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई आतिशमी
अनुपस्थित रहा पत्रावली दिनांक 26/2/18 को
पेश है।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

26/2/18

पत्रावली पेश हुई। आतिशमी अनुपस्थित
रहा है। आतिशमी द्वारा अक्षीय शक्ति पर
आतिशमी को विना जीना प्रमाणित है आतिशमी
के विरुद्ध एक उपक्षीय कथिवादी अमल
में लड़ि जाति है। आतिशमी कथिवादी की
आतिशमी शक्ति से आतिशमी को आतिशमी
से वेकवली विना जाता है। विस्तृत विवरण
पत्रावली से लिखा जाकर आतिशमी
पत्रावली है।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 240/17 तारीख रजू 22/02/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~केडा~~ बनाम
 श्री वागुलाल पुत्र ~~वागुलाल~~ जाति ~~वागुलाल~~ निवासी ~~महवा~~ तहसील

~~महवा~~

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/02/18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~महवा~~ हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ~~वागुलाल~~ ने ग्राम ~~नयागांव~~ को भूमि ख.न. 555 रकबा 0.01 किस्म ~~गेहूँ~~ फसल रबि / खरीफ संवत् 2017-18 में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 555 रकबा 0.01 किस्म ~~गेहूँ~~ वाके ग्राम ~~नयागांव~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.44 या 50 गुणा 222/- शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ~~गेहूँ~~ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को ~~बंद~~ / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर नं/प सं. 114
 वर्ष 2017-18
 की राशि ता.
 की जमा कायमी
 दिनांक 8/3/18
 Peshay
 तहसील-महवा